

53 29 108 105

996/5
22.9.2002

101

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

सं. ई (एन.जी) 11/ 98/आर.सी.1/64 नई दिल्ली, दि.26.09.2002

महाप्रबन्धक (कार्मिक),
मध्य रेलवे,
गुजराट !

विषय: अनुकम्पा के आधार पर श्री संदीप पुत्र स्व. श्री अशोक खेदेकर की
नियुक्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ: आपकी रेलवे का दिना 02.08.2002 का पत्र संख्या एचपीबी/
CON/883/R/Comp./Clarificaion. CP/26)

आपकी रेलवे के उपरोक्त संदर्भित पत्र पर विचार किया गया और यह निर्णय
लिया गया कि आत्महत्या को भी आम मृत्यु के बराबर मानते हुए, अनुकम्पा के
आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाये ।

अशोक कुमार
(अशोक कुमार)
सं. निदेशक स्था. (अराज.) 11
रेलवे बोर्ड

मि. व. (अ.स.)
र. 7.